न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्याः– 10/20 निर्णय दिनांकः–09.03.2021

1 श्री विष्णुकुंवर पिता शंभुसिंह शक्तावत जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

1 श्री महिपालसिंह पिता शंभुसिंह शक्तावत जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्री जगपालसिंह पिता शंभुसिंह शक्तावत जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3 श्री दशरथसिंह पिता शंभुसिंह शक्तावत जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4 श्रीमती मोहनकुंवर पिता शंभुसिंह शक्तावत जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5 श्री सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पीठ पंचायत समिति सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
6 श्री मान भुमिधारी लेण्ड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.।

रेस्पोडेन्टगण

अपील बनाराजगी नामान्तरण संख्या 2891, 2892 आदेश प्रमाणित दिनांक 04.12.2019 ग्राम पंचायत पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भु–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री विरेन्द्रसिंह चौहान अपीलान्ट की ओर से

श्री जगतसिंह चुण्डावत, गौतमलाल रोत, बालगोविन्द

पाटीदार रेस्पोडेण्टगण की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि अपीलान्ट द्वारा एक अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि अपीलान्ट की पैतृक खातेदारी कब्जे काश्त की भुमि मौजा पीठ जमाबंदी खाता संख्या 282–672 के खसरा संख्या 2470, 2480 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 0.9065 हैक्टेयर, मौजा पीठ के खाता संख्या 1031 के खसरा संख्या 3842/1681 का कुल रकबा 0.1781 हैक्टेयर, मौजा पीठ के खाता संख्या 2464, 2470, 2471, 2472, 2473 कुल खसरा किता 10 का कुल रकबा 3.1565 हैक्टेयर, मौजा पीठ के खाता संख्या 672, के खसरा संख्या 2403, 2404, 2463 कुल खसरा किता 3 का कुल रकबा 2.6952 हैक्टेयर भुमि है। जो अपीलान्ट की पैतृक भुमि होकर पिता स्व. शंभुसिंह शक्तावत पिता करणसिंह के हक हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड थी। अपीलान्ट के पिता का देहान्त हो चुका है।

क्रमशः पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी

मौजा पीठ उक्त आराजीयात में अपीलान्ट के पिता शंभुसिंह शक्तावत का देहान्त होने के पश्चात नामान्तरण संख्या 2001, 2002 खोला गया। जिसमें ग्राम पंचायत पीठ द्वारा बिना जांच पडताल किए ही नामान्तरण तस्दीक कर दिया है। जिसमें अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया है। जबकि अपीलान्ट अपने पिता शंभुसिंह की पुत्री है। उक्त भूमि में अपीलान्ट का जन्म से ही अधिकार निहित है। उक्त अपील में ग्राम पंचायत का तस्दीकशुदा पीढीनामा प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा वारिसानों के संबध में किसी प्रकार से कोई दस्तावेज जांच परख किए बिना ही नामान्तरण प्रमाणित किया गया है। ऐसे में उक्त नाम खारिज कर पुनः अपीलान्ट का नाम दर्ज कर नामान्तरण खोला जाना आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 05.02.2020 को अपनी जमाबंदी निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट के पिता के देहान्त के पश्चात उनके नाम नामान्तरण में दर्ज नहीं किए गए है। जिससे अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जिससे म्याद अवधि में अपील प्रस्तुत है।

भु–अभिलेख नियमावली की धारा 120 के अनुसार ग्राम पंचायत का कर्तव्य था कि वह नामान्तरण खोले जाते समय अपीलांट की उपस्थिति हेतु नोटिस देते तथा उसका पक्ष सुनते लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया जो साबित करता है कि ग्राम पंचायत द्वारा मनमाफिक निर्णय पारित किया है। जिससे उपरोक्त नामान्तरण शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित होकर खारिज योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में अपील पेश करने पर न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्टपोडेण्गण को जरीए नोटिस तलब किया गया। न्यायालय में जरीए अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गए। रेस्टपोडेण्ट संख्या 4 से 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद कर दिये गए। पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य रखी गई।

1 प्रदर्श– 1 नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपि
2 प्रदर्श– 2 ग्राम पंचायत तस्दीक शुदा प्रमाण पत्र

अपीलान्ट द्वारा पीठ पटवारी को एक प्रार्थना पत्र व ग्राम पंचायत का तस्दीकशुदा विरासती प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उसी अनुसार स्व. शंभूसिंह शक्तावत की समस्त आराजीयों का नामान्तरण दर्ज करने निवेदन किया था। उसके बावजुद पीठ पटवारी द्वारा रेस्पोडेण्टगण से मिलीभगत कर प्रार्थना पत्र को नदरअंदाज कर घोर लापरवाही बरतकर रेस्टपोडेण्ट संख्या 1 से 3 के नाम नामान्तरण दर्ज कर अपीलान्ट के साथ न्याय नहीं कर घोखेबाजी की गई है।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी वकील अपीलान्ट ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की अपीलान्ट की पैतृक खातेदारी कब्जे काश्त की भुमि मौजा पीठ जमाबंदी खाता संख्या 262–672 के खसरा संख्या 2470, 2480 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 0.9065 हैक्टेयर, मौजा पीठ के खाता संख्या 1031 के खसरा संख्या 3842/1681 का कुल रकबा 0.1781 हैक्टेयर, मौजा पीठ के खाता संख्या

क्रमशः पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

2464,2470,2471,2472,2473 कुल खसरा किता 10 का कुल रकबा 3.1565 हैक्टेयर, मौजा पीठ के खाता संख्या 672, के खसरा संख्या 2403, 2404, 2463 कुल खसरा किता 3 का कुल रकबा 2.6952 हैक्टेयर भुमि है। जो अपीलान्ट की पैतृक भुमि होकर पिता स्व. शंभुसिंह शक्तावत पिता करणसिंह के हक हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड थी। अपीलान्ट के पिता का देहान्त हो चुका है। मौजा पीठ उक्त आराजीयात में अपीलान्ट के पिता शंभुसिंह शक्तावत का देहान्त होने के पश्चात नामान्तरण संख्या 2891, 2892 खोला गया। जिसमें ग्राम पंचायत पीठ द्वारा बिना जांच पडताल किए ही नामान्तरण तस्दीक कर दिया है। जिसमें अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया है। जबकि अपीलान्ट द्वारा पीठ पटवारी को प्रार्थना पत्र व तस्दीकशुदा विरासती प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट का नाम दर्ज करने निवेदन किया था। उसके बावजुइ पटवारी ने रेस्टपोडेण्गण से मिलीभगत कर अपीलान्ट के साथ घोखेबाजी की गई। जबकि अपीलान्ट अपने पिता शंभुसिंह की पुत्री है। उक्त भुमि में अपीलान्ट का जन्म से ही अधिकार निहित है। उक्त अपील में ग्राम पंचायत का तस्दीकशुदा पीढीनामा प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

हमने उभय वकील बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 1 से 2 से साबित होता है कि मौजा पीठ जमाबंदी खाता संख्या 282–672 के खसरा संख्या 2470, 2480 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 0.9065 हैक्टेयर, मौजा पीठ के खाता संख्या 1031 के खसरा संख्या 3842/1681 का कुल रकबा 0.1781 हैक्टेयर, मौजा पीठ के खाता संख्या 2464, 2470, 2471, 2472, 2473 कुल खसरा किता 10 का कुल रकबा 3.1565 हैक्टेयर, मौजा पीठ के खाता संख्या 672, के खसरा संख्या 2403, 2404, 2463 कुल खसरा किता 3 का कुल रकबा 2.6952 हैक्टेयर भुमि होकर स्थित है। जो अपीलान्ट की पैतृक भुमि होकर पिता स्व. शंभुसिंह शक्तावत पिता करणसिंह के हक हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त आराजी का अपीलान्ट व रेस्टपोडेण्टगण 1 से 4 खातेदार काश्तकार है। ओर खातेदारी काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। ऐसे में अपीलान्ट व रेस्पोडेण्टगण का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित है। इसके साथ ही पीठ पटवारी द्वारा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र प्राप्ति के बाद भी उस पर सुनवाई नहीं कर रेस्टपोडेण्गण से मिलीभगत कर अपीलान्ट का नाम नामान्तरण में नहीं जोडने के मामले में तहसीलदार सीमलवाडा पीठ पटवारी के विरूद्ध 17 सीसी नोटिस की कार्यवाही कर जवाब प्रस्तुत करे।

आदेश

अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर मौजा पीठ जमाबंदी खाता संख्या 282–672 के खसरा संख्या 2470, 2480 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 0.9065 हैक्टेयर, मौजा पीठ के खाता संख्या 1031 के खसरा संख्या 3842/1681 का कुल रकबा 0.1781 हैक्टेयर, मौजा पीठ के खाता संख्या 2464, 2470, 2471, 2472, 2473 कुल खसरा किता 10 का कुल रकबा 3.1565 हैक्टेयर, मौजा पीठ के खाता संख्या 672, के खसरा संख्या

कमशः पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

2403, 2404, 2463 कुल खसरा किता 3 का कुल रकबा 2.6952 हैक्टेयर भुमि होकर स्थित है। जो अपीलान्ट की पैतृक भुमि होकर पिता स्व. शंभुसिंह शक्तावत पिता करणसिंह के हक हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड थी। अतः नामान्तरण संख्या 2891, 2892 दिनांक 04.12.2019 ग्राम पंचायत पीठ खारिज किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आराजी में अपीलान्ट व रेस्टपोडेण्टगण 1 से 4 का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।पीठ पटवारी द्वारा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र प्राप्ति के बाद भी उस पर सुनवाई नहीं कर रेस्टपोडेण्गण से मिलीभगत कर अपीलान्ट का नाम नामान्तरण में नहीं जोडने के मामले में तहसीलदार सीमलवाडा पीठ पटवारी के विरूद्ध 17 सीसी नोटिस की कार्यवाही कर जवाब प्रस्तुत करे। तहसीलदार सीमलवाडा आदेशानुसार पालना करे।

अनिल कुमार जैन 9/3/21
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 09.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन 9/3/21
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा